न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

अज अदालत – श्रीमती सवीना बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 28/2017

1. कविता उर्फ शारदा पुत्री स्व. कृष्णलाल पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन 1 डी बी एन, गंगानगर हाल चक 15 एल के डी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राणी पुत्री स्व. कृष्णलाल पत्नी राजेश जाति जाट साकिन मदेरां हाल चक 15 एल के डी छत्तरगढ़ तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीयागण

बनाम

1. रचना पत्नी स्व. मोहनलाल पुत्री सुखदेव जाति जाट साकिन 7 केपीडी तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर।
2. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री अरविन्द कुमार काजला, अभिभाषक–प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री योगेश चुग, अभिभाषक –अप्रार्थी सं. 1 की ओर से ।

–: आदेश :–

दिनांकः– 13.11.2017

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीयागण के पिता कृष्णलाल के नाम से तहसील छत्तरगढ़ के चक 15 एल के डी के मु.नं. 82/17 के किला नं. 16 ता 25 की कुल 10 बीघा भूमि एवं प्रार्थीयागण के भाई/अप्रार्थीया संख्या 1 के पति के नाम से इसी मुरब्बा नं. 82/17 के किला नं. 1 ता 15 की कुल 15 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मिकर के पिता द्वारा अपनी भूमि जो तहसील घड़साना के चक 17 आरजेडी के मु.नं. 18/39 की कुल 25 बीघा भूमि का बेचान जरिये बैयनामा राजाराम पुत्र चुन्नीलाल को करके प्रार्थीयागण के पिता ने अपने व अपने पुत्र मोहनलाल के नाम से जरिये बैयनामा दिनांक 26.07.2011 को खरीद की है। प्रार्थीयागण के पिता कृष्णलाल को पूर्व मे चक 3 ई ई ए में पैतृक सम्पति हिस्सा में आती थी जिसे बेचान करके चक 17 आरजेडी की भूमि खरीद की गई एवं तत्पश्चात चक 17 आरजेडी की भूमि विक्रय करके चक 15 एल के डी की भूमि क्रय

उपखण्ड अधिकारी
छत्तरगढ़

की गई है इस प्रकार विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रार्थीयागण के पिता द्वारा पैतृक सम्पति बेचान कर स्वयं व प्रार्थीयागण के भाई मोहनलाल के नाम से खरीद की गई है जिसमें प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीया संख्या 1 का विरास्तन हक एवं हिस्सा निहित है। यदि अप्रार्थीया संख्या 1 विवादित भूमि को आगे रहन बैय एवं हस्तान्तरित कर लेती है तो प्रार्थीयागण को अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिये प्राथीयागण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

जवाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता कथन किया गया कि उक्त वर्णित भूमि में से 15 एल के डी का मु.न. 82/17 में 15.00 बीघा भूमि अप्रार्थीया सं. 1 के पति मोहनलाल की खरीदशुदा भूमि है जो कि जरिये रजिस्ट्री बैयनामा से अप्रार्थी सं. 1 के पति मोहनलाल के प्रतिफल की राशि देकर खरीद की थी एवम उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज भी मोहनलाल के नाम से दर्ज है तथा जो आज दिनांक तक बदस्तुर जरी है तथा अपने जीवनकाल में अपनी खरीदशुदा भूमि पर अप्राथी सं. 1 का पति मोहनलाल काबिज काश्त रहा था तथा उक्त भूमि पर ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित रहता था एवम अप्रार्थी सं. 1 भी अपने पति के साथ निवास करती थी एवम अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी अप्रर्थी सं. 1 निवास कर रही है कि प्रार्थीया के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता।

न्यायालय को अन्तर्गत् धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र को निस्तारण करते समय कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तानुसार निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना होता है –

अ. प्रथम दृष्टया मामला।
ब. सुविधा का संतुलन।
स. अपूर्णीय क्षति।

अ. प्रथम दृष्टया मामलाः प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण के पिता कृष्णलाल के नाम से तहसील छत्तरगढ़ के चक 15 एल के डी के मु.नं. 82/17 के किला नं. 16 ता 25 की कुल 10 बीघा भूमि एवं प्रार्थीयागण के भाई/अप्रार्थीया संख्या 1 के पति के नाम से इसी मुरब्बा नं. 82/17 के किला नं. 1 ता 15 की कुल 15 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मिकर के पिता द्वारा अपनी भूमि जो तहसील घड़साना के चक 17 आरजेडी के मु.नं. 18/39 की कुल 25 बीघा भूमि का बेचान जरिये बैयनामा राजाराम पुत्र चुन्नीलाल को करके प्रार्थीयागण के पिता ने अपने व अपने पुत्र मोहनलाल के नाम से जरिये बैयनामा दिनांक 26.07.2011 को खरीद की है। प्रार्थीयागण के पिता कृष्णलाल को पूर्व मे चक 3 ई ई ए में पैतृक सम्पति हिस्सा में आती थी जिसे बेचान करके चक 17 आरजेडी की भूमि खरीद की गई एवं तत्पश्चात चक 17 आरजेडी की भूमि विक्रय करके चक 15 एल के डी की भूमि क्रय

उपखण्ड अधिकारी
छत्तरगढ़

की गई है इस प्रकार विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रार्थीयागण के पिता द्वारा पैतृक सम्पति बेचान कर स्वयं व प्रार्थीयागण के भाई मोहनलाल के नाम से खरीद की गई है जिसमें प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीया संख्या 1 का विरास्तन हक एवं हिस्सा निहित है। यदि अप्रार्थीया संख्या 1 विवादित भूमि को आगे रहन बैय एवं हस्तान्तरित कर लेती है तो प्रार्थीयागण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। जबकि अप्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हूए कथन किया है कि उक्त वर्णित भूमि में से 15 एल के डी का मु.न. 82/17 में 15.00 बीघा भूमि अप्रार्थीया सं. 1 के पति मोहनलाल की खरीदशुदा भूमि है जो कि जरिये रजिस्ट्री बैयनामा से अप्रार्थी सं. 1 के पति मोहनलाल के प्रतिफल की राशि देकर खरीद की थी एवम उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज भी मोहनलाल के नाम से दर्ज है तथा जो आज दिनांक तक बदस्तुर जरी है तथा अपने जीवनकाल में अपनी खरीदशुदा भूमि पर अप्राथी सं. 1 का पति मोहनलाल काबिज काश्त रहा था तथा उक्त भूमि पर ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित रहता था एवम अप्रार्थी सं. 1 भी अपने पति के साथ निवास करती थी एवम अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी अप्रर्थी सं. 1 निवास कर रही है अतः प्रार्थीया के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता।

राज्य की ओर से कोई हाजिर नहीं। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने कथन किया कि मामला पक्षगारण के मध्य है। राज का कोई हित निहित नहीं है।

उभयपक्षों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्षों के मध्य विवादित कृषि भूमि 15 एल के डी का मु.न. 82/17 की प्रकृति के संबंध मे तात्विक व सद्भाविक प्रश्न उत्पन्न होता है जिसका निस्तारण वाद में तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों के साक्ष्य आने के बाद ही समयक् रूप से किया जा सकेगा। इस स्टेज पर प्रार्थीया की ओर से विवादित कृषि भूमि के संबंध में दो बैयनामा प्रस्तुत किये है जिनमें से एक बैयनामा खसरा न 1 ता 20 प्रार्थीया के पिता व अप्रार्थीया के पति द्वारा शामलाल रूप से क्रय किया जाना व खसरा 21 ता 25 प्रार्थीया के पिता द्वार क्रय किया स्पष्ट है उक्त दोनो बैयनामा दिनांक 26.07.2011 को निष्पादित किया जाना भी स्पष्ट है अतः इन तथ्यों को देखत हुए प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

ब. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षतिः उक्त दोनों बिन्दु एक दुसरे से अन्तर्वलीत होने से इनका एक साथ निस्तारण किया जाता है। चुकिं प्रर्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है अतः वाद के विचारण के दौरान विवादित भूमि का अन्यथा अंतरण किया जाता है तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना है। साथ ही यदि प्रार्थीया के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो उसे होने वाली क्षति अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थीया को होने वाली क्षति

उपखण्ड अधिकारी
छत्तरगढ़

से अधिक होने की संभावना है अतः ये दोनों बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष मे तय किए जाते है।

चुंकि उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्धारित किए गए है अतः प्रार्थीया द्वारा पेश अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 19.07.2017 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत चक 15 एलकेडी का मु.न. 82/17 का किला न. 01 ता 25 में 25.00 बीघा भूमि वाद के निर्णय तक कनर्फम किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सवीना बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
छत्तरगढ़